



नई शिक्षा नीति 2020 : एक शिक्षक की नज़र से !

जोगिन्दर कुमार

नीता रानी

सार संक्षेप

शिक्षा में समावेशन का मुद्दा कोई नया नहीं है, इस पर गाहे बगाहे विभिन्न शिक्षा समितियों, शिक्षा आयोगों और नीतियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर विस्तार से चिंतन दर्शाती है। जिसमें पूरा जोर मुख्य रूप से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इस पर गहनता से बात की गयी। जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा में नए आयाम जोड़ने की बात की गयी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब शिक्षा का अधिकार कानून 2009 बिल संसद से पास होकर 2010 में देशभर में लागू किया गया ताकि हर बच्चे को जीने के अधिकार के तहत शिक्षा को लेने का भी अधिकार मिले यह कानून एक मील का पत्थर साबित हुआ। किन्तु शिक्षा में समावेशन के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा का होना अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है। हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न शोध इसके विपरीत दृश्य उद्घाटित करते हैं। जिसमें पीस, असर और नैस के आंकड़े प्रमुख में जो यह बताते हैं भारत में कक्षा तीन के विद्यार्थी मातृभाषा के साधारण वाक्य और 2 अंकों का जोड़ घटा कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में फिर से शिक्षा के गुणवत्तापरक लक्ष्य और उनके क्रियान्वयन को धरातल पर अमली जामा पहनाने की अतिआवश्यकता है। ऐसे में नई शिक्षा-नीति 2020 क्या गुणवत्ता के उद्देश्यों को पूरा कर पायी है? क्या नई शिक्षा- नीति में समावेशन को किस रूप में शामिल किया गया है। त्रि-सूत्रीय भाषा फार्मूला को किस रूप में शामिल किया गया है? भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में शिक्षा की



मुख्य-धारा में सबको किस रूप में समावेशन किया जायेगा यह जानना बहुत आवश्यक है ?



Aarhat Publication & Aarhat Journals is licensed Based on a work at <http://www.aarhat.com/amierj/>

भूमिका:

समावेशन का सामान्यतः अर्थ शिक्षा में हर बच्चे का शामिल होना है चाहे वह शिक्षा ग्रहण करने की किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों न हो। शिक्षा में जब हम समावेशन की बात करते हैं तो उसमें केवल दिव्यांग विद्यार्थियों तक का समावेशन को ही हम समावेशन में शामिल कर आगे बढ़ जाते हैं। किन्तु समावेशन को विस्तार से जानने पर स्पष्ट होता है कि समावेशन का अर्थ है विद्यार्थी बिना किसी भय के अपनी वर्तमान क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके, जहाँ वह बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यताओं को और धारधार बना सके। जिससे उसमें समाज और स्वयं के प्रति आत्मविश्वास बढे। साथ ही साथ वह समाज और स्वयं के लिए बहुउपयोगी बन सके। 1968, 1986 और 1992 के संशोधित कार्य योजना ने इस पर ध्यान केंद्रित कराया। 29 वर्षों उपरांत नई शिक्षा-नीति क्या समावेशन के सभी मुद्दों को छू पायी है इसका गहराई से विश्लेषण अति-आवश्यक है यह देश के 40 करोड़ नौनिहालों और देश के भावी भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में क्या नई शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाने में मददगार साबित होगी? क्या समता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को भादवा देने में नई शिक्षा-नीति 2020 कारगर होगी? जिस शिक्षक के ऊपर इसे विद्यालयी परिवेश में क्रियान्वित किया जाना है क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या उसके व्यावसायिक योग्यता विकास के लिए कुछ नयापन है? शिक्षक को सबल बनाने और उसकी स्वायत्तता के लिए नई शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा-नीति को गहराई से और समझने के लिए शोधकर्ताओं ने शोध में शिक्षा में गुणवत्ता का मुद्दा, त्रि-भाषा सूत्र और समावेशन जिसपर नई शिक्षा-नीति 2020 ने विस्तार से चर्चा की है को मुख्य विश्लेषण का आधार बनाया है। चूँकि नई शिक्षा-नीति 2020 का क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऐसे में शिक्षकों

और शिक्षक-शिक्षकों से इसके महत्व और क्रियान्वयन को समझना अति आवश्यक हो जाता है। निम्न पर्चा इसी दिशा में एक प्रयास मात्र है।

शोध उद्देश्य:

नई शिक्षा-नीति 2020 और समावेशन का विद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ में विश्लेषण करना।

शोध प्रश्न :

- 1 क्या नई शिक्षा-नीति 2020 में समावेशन के व्यापक रूप को समाहित किया है?
- 2 क्या नई शिक्षा-नीति में त्रि भाषा-सूत्र द्वारा समावेशन को मज़बूत किया गया है?
- 3 क्या नई शिक्षा-नीति में गुणवत्ता-परक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है?
- 4 क्या नई शिक्षा-नीति में शिक्षकों की व्यावसायिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है ?

शोध प्रक्रिया:

शोध प्रक्रिया मूलतः गुणात्मक रूप में है।

शोध प्राविधि:

शोध कार्य को शोध प्रश्नों के अनुरूप परिणीत करने के लिए साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन तथा प्रश्नावली शोध प्राविधि का प्रयोग किया गया है जिसमें विद्यालयी शिक्षकों और टीचर एडुकेटर्स को परपासिव सैंपलिंग द्वारा चयनित किया गया है। साक्षात्कार और प्रश्नावली ओपन एंडेड प्रश्नों पर आधारित था और फोकस ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार और प्रश्नावली के गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर शोध निष्कर्ष निकाले गए। शोध में उन्हीं शिक्षकों और टीचर एडुकेटर्स को शामिल किया गया जिन शिक्षकों ने नई शिक्षा-नीति को पढ़ लिया है।

शोध कार्य का विश्लेषण शोध प्रश्नों के अनुरूप मुख्यतः चार भागों में विभाजित करके किया गया है जिनमें समावेशन, त्रि-भाषा सूत्र, गुणवत्ता परक शिक्षा और शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता विकास को आधार माना गया है। शोध उपकरण और शोध सहभागियों के प्रतिउत्तर के अनुरूप ही उन्हें विश्लेषित



किया गया है। जिसको आगे शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों के प्रतिउत्तर के अनुरूप भी विभाजित किया गया है।

शोध सैंपल

कुल 20 विद्यालयी शिक्षक जिसमें 10 पुरुष शिक्षक और 10 महिला शिक्षकों को तथा 20 टीचर एड्युकेटर्स को भी शामिल किया गया है जिसमें 10 पुरुष शिक्षक और 10 महिला शिक्षकों को शोध कार्य में शामिल रहे।

परिसीमन:

शोध कार्य के उद्देश्य और समयसीमा को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य में दिल्ली के 10 सर्वोदय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं और 20 डाइट सहायक प्राध्यापकों को ही शामिल किया गया। यह सभी विद्यालय शिक्षक दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ब और उत्तर -पश्चिम अ जिले में कार्यरत है। इसी तरह सहायक प्राध्यापक भी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ब और अ जिले में कार्यरत है। शोध कार्य को नयी शिक्षा-नीति 2020 के सन्दर्भ में ही देखा गया है और उसमें भी विद्यालयी शिक्षा को ही आधार बना कर विश्लेषण किया गया है।

फोकस ग्रुप डिस्कशन निष्कर्ष: फोकस ग्रुप डिस्कशन के आधार पर कुछ थीम निकाल कर साक्षात्कार के प्रश्न और प्रश्नावली तैयार किये गए और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है।

पारिभाषिक शब्दावली:

1. शोध में टीचर एड्युकेटर्स से अभिप्राय डिप्लोमा इन एजुकेशन में शामिल सहायक अध्यापक से जो भावी प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं को पढाते हैं।
2. शिक्षक शब्द शोध कार्य में दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों से सम्बंधित है।



साक्षात्कार/प्रश्नावली निष्कर्ष:

शोध कार्य का विश्लेषण शोध प्रश्नों के अनुरूप मुख्यतः चार भागों में विभाजित करके किया गया है जिनमें समावेशन, त्रि-भाषा सूत्र, गुणवत्ता परक शिक्षा और शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता विकास को आधार माना गया है। शोध उपकरण और शोध सहभागियों के प्रतिउत्तर के अनुरूप ही उन्हें विश्लेषित किया गया है। जिसको आगे शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों के प्रतिउत्तर के अनुरूप भी विभाजित किया गया है।

शिक्षक:

समावेशन:

शिक्षकों से प्राप्त प्रतिउत्तर के अनुसार शिक्षकों ने समावेशन के मुद्दे पर इस नीति को बहुत सराहा। सभी शिक्षकों का मानना था की पहली बार ट्रांसजेंडर को भी नीति में लाया गया और हर प्रकार के समावेशन जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, भौगोलिक विविधता की चुन्नौतियों का सामना करने वाले विद्यार्थी और साथ ही साथ अधिगम असमर्थता (लर्निंग डिसेबिलिटीज) वाले विद्यार्थियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गयी है। जेंडर समावेशन को तरजीह दी गयी है जो नीति को और कारगर साबित करने में मदद करेगी। विशेषकर बालिका विद्यालयों जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं उनमें छात्रावास और अधिक बनाये जाने का विशेष स्वागत किया जो समावेशन को और सबल करेगा।

टीचर एडुकेटर्स द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के लिए होम स्कूलिंग को विशेष सराहा गया जिसमें एक से अधिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनके घर पर ही शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाएँगी साथ ही साथ उनके अभिभावकों को भी चुन्नौतियों से सम्बंधित दक्षताओं में पारंगत करने में मदद दी जाएगी। शिक्षकों को इसके लिए विशेष रूप से दक्ष बनाना भी इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पहली बार केवल रैंप और टॉयलेट की ही



बात नहीं कीन गयी बल्कि आवश्यकता अनुसार उपकरण जो आरपीडब्लूडी एक्ट 2016 के अनुरूप दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसकी प्रतिबद्धता को भी दोहराती है।

त्रि-भाषा सूत्र:

शिक्षकों का मानना था कि त्रि-भाषा सूत्र को फिर से नई शिक्षा नीति ने प्राथमिकता दी है और इसपर विस्तार से चर्चा की गयी है। यह एक शानदार शुरुआत है कि अब विद्यार्थियों को संविधान में अनुसूचित भाषाओं के अलावा कक्षा 8 तक लोकल डायलेक्ट में भी पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ पाठ्य-सामग्री भी अब लोकल डायलेक्ट में होगी यह एक अच्छा कदम है। विद्यार्थी मातृभाषा के साथ साथ अब गणित विज्ञान भी लोकल डायलेक्ट में पढ़ सकेंगे जिनमें दो भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य होगा।

सभी टीचर एड्युकेटर्स ने इस कदम का स्वागत किया क्योंकि टीचर एड्युकेटर्स का यह मानना रहा है कि विद्यार्थी की भाषा विकास प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक होता है। ऐसे में यह त्रि भाषा सूत्र कारगर साबित होगा। साथ ही साथ द्रविण भाषाओं, पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं में पाठ्य सामग्री आने से अन्य विद्यार्थी भी इन्हे सीख सकेंगे। साथ ही साथ प्राचीन भाषाएं जैसे संस्कृत और फ़ारसी , पाली आदि भाषाओं को बढ़ाना भारत के गौरवशाली अतीत और संस्कृति को फिर से सुसज्जित करने में मदद करेगा। टीचर एड्युकेटर्स ने लैंग्वेज ऑफ़ इंडिया प्रोजेक्ट को विशेषकर सराहा जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं के अतीत को विद्यार्थियों को जानने का अवसर मिलेगा।

गुणवत्ता-परक शिक्षा :

प्रारंभिक बाल्यावस्था के मुद्दे पर शिक्षकों की इस पर सहमति थी की यह कार्य निजीकरण को रोकने में कामयाब होगा। आरटीई 2009 के सुधार विस्तार में यह मदद करेगा। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए यह अनिवार्य भी था। शिक्षकों ने शिक्षा बिना बोझ के क्रम में शिक्षण-शास्त्र को रुचिकर बनाने पर शिक्षा नीति में हुई पहल का भी स्वागत किया। इससे शिक्षक समुदाय उत्साहित है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में यह पहल अवश्य



मदद करेगी। स्कूल काम्प्लेक्स में संसाधनों को जुटाने की बात भी विशेष रूप से सराहनीय है।

टीचर एडुकेटर्स ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के मुद्दे को लागू करना चुन्नौती पूर्ण बताया। उनका मानना था प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बहुत जल्दी शुरू की गयी है। कहीं यह बच्चों का बचपन न छीन ले और यह कहीं न कहीं यह अवधारणा भी लिए हुए है कि विद्यार्थी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से परिवार में नहीं सीख पाते हैं। शिक्षण को गतिविधि के माध्यम से करना एक सराहनीय कदम उन्होंने कहा विशेषकर कोडिंग को उन्होंने एक तकनीकी छलांग कहा। स्कूल काम्प्लेक्स को सुदृण बनाने का भी उन्होंने पुरज़ोर समर्थन किया यद्यपि अधिकांश टीचर एडुकेटर्स का मानना था कि यह कार्य पिछली नीतियों में भी था परन्तु क्रियान्वयन अति महत्वपूर्ण होगा।

शिक्षकों की व्यावसायिक-योग्यता विकास:

शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए 50 घंटों के न्यूनतम कार्यक्रम को रखने का शिक्षक वर्ग ने स्वागत किया है। अधिकतर शिक्षकों का यह मानना था कि इससे उनके कार्य दक्षता और निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों के अनावश्यक स्थानांतरण को रोकने का भी शिक्षकों ने स्वागत किया क्योंकि इससे उनपर अनावश्यक दबाव नहीं रहेगा। शिक्षकों की पदोन्नति में पारदर्शिता का आश्वासन उनके कार्य निष्पादन को बढ़ावा देगा। शिक्षकों ने शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार का भी स्वागत किया ताकि शिक्षण को पसंद करने वाले लोग इस व्यवसाय में आएं।

टीचर एडुकेटर्स का मानना था कि शिक्षकों द्वारा शोध कार्यों को बढ़ावा देने की कोई विशेष बात इस नीति में लानी चाहिए थी। शिक्षकों की पदोन्नति को उनके कार्य निष्पादन से जोड़ना एक सकारात्मक कदम है। मेहनती शिक्षकों को इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सभी टीचर एडुकेटर्स शिक्षा नीति की इस बात से सहमत थे कि शिक्षकों पर गैर शिक्षण कार्यों के बोझ को कम करना भी स्वागतयोग्य कदम है। शिक्षकों



के खोए गौरव को लाने की विशेष पहल को टीचर एड्युकेटर्स ने अभूतपूर्व कदम के रूप में देखा है। उनके अनुसार इस कदम से अब और युवा वर्ग इस व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास करेगा।

सारांश:

नयी शिक्षा नीति 2020 अब मूर्त रूप ले चुकी है इसलिए इसके क्रियान्वयन पक्ष पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नयी शिक्षा नीति इस बात पर पुरज़ोर बल देती है कि हर बच्चा विशिष्ट है। पाठ्यक्रम में लचीलापन विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देती है। बहु-भाषिकता, समावेशन, पारदर्शिता, रचनात्मकता नयी शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता रही है। नए कलेवर में प्रस्तुत नयी शिक्षा नीति पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगती है। किन्तु क्रियान्वयन पक्ष पर यदि और ज़ोर दिया जाये तो निश्चित ही यह नीति शिक्षा जगत में यह एक मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षकों और टीचर एड्युकेटर्स से बात करने पर यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई कि शिक्षा के बाज़ारीकरण को यह नीति रोकने को बल देती प्रतीत होती है। शिक्षा में 6% कुल सकल घरेलू उत्पाद का खर्च होना 1964 के अनुरूप अनुसंसा की गयी थी। परन्तु वर्तमान में इसे और बढ़ाये जाने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तकनीकी विकास को नीति का मुख्य आधार बताया गया है। परन्तु जिस देश में विधुतीकरण/पेयजल समस्याओं से जूझ रहा हो वहाँ आधुनिकरण तकनीकी की बात करना अति उत्साही होगा। शिक्षकों और टीचर्स एड्युकेटर्स ने तकनीकी विकास को अवश्यम्भावी बताया परन्तु यह भी चिंता ज़ाहिर कि कहीं शिक्षकों पर इसका अनावश्यक बोझ न इस बढ़ जाए। यद्यपि अभी यह नीति क्रियान्वयन की ओर है ऐसे में हम सब को इसके लागू करने में मदद करनी चाहिए ताकि भारतीय शिक्षा अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर सके। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जिसमें सुधार की गुंजाईश सदैव बनी रहती है। नयी शिक्षा नीति की सैद्धांतिक पक्षों को व्यावहारिक पक्षों में लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य नीति बनाने की आवश्यकता है। शिक्षकों और टीचर एड्युकेटर्स जो शिक्षा के



विभिन्न स्टेकहोल्डर्स में से एक है उनका सकारात्मक रूप इसकी सफलता को अवश्य ही सुनिश्चित करेगा।

References:

- Educational Information System in India and its Limitations: Suggestions for Improvement
<http://www.educationforallindia.com/page121.htm>
- NCF, 2000 Govt. of India
- NCF, 2005 Govt. of India
- NCFTE 2009 Govt. of India
- National Policy on Education, 1968 Govt. of India
- National Policy on Education, 1986 Govt. of India
- National Policy on Education (Plan on Action) 1992 Govt. of India
- New Education Policy 2020 of India, 2020 Govt. of India
- On the problems faced by Indian education system
<http://www.indieducationreview.com/vc-desk/problems-faced-indian-education-system-0>
- Priya Basu 2006 Improving Access to Finance for India's Rural Poor(Directions in Development), World Bank
- Quality Education for ALL, Initiatives & Innovations, Transforming Delhi Education (2017).Delhi Knowledge Development Foundation (DKDF), Department of Training and Technical Education, GNCTD, Pitampura Delhi.
WWW.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf
- WWW.SSA.nic.in
- [WWW.Yojana.Gov.in/CMS/\(S\(y4dqrc55g1m1qhnd4soqih45\)\)pdf/./May.pdf](http://WWW.Yojana.Gov.in/CMS/(S(y4dqrc55g1m1qhnd4soqih45))pdf/./May.pdf)
- WWW.News.Nom.Co/focus-on-developing-rural-urban-clusters-7865774-n....

Abbreviations

- ASER: Annual School Education Report
- DOE: Directorate of Education
- NAS: National Achievement Survey
- NCF: National Curriculum Framework
- NEP: New Education Policy